भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4149
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

पैनल सलाहकारों को प्रकरण-आवंटन में पारदर्शिता

4149. श्री प्रवीण पटेल :

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) विभिन्न मंत्रालयों में पैनल सलाहकारों के बीच प्रकरण-आवंटन के लिए नए दिशानिर्देश किस प्रकार कार्यान्वित किए जाएंगे ;

(ख) सभी नामित वाद-प्रभारियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) सरकार वाद-प्रभारियों द्वारा प्रकरण-आवंटन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी किस प्रकार करती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : मामलों के उचित और पारदर्शी आवंटन के लिए विधि कार्य विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. जे-16/20/2024-न्यायिक, तारीख 16 अक्तूबर, 2024 के तहत जारी नए मार्गदर्शी सिद्धांत स्वतः आख्यापक सिद्धांत है। कार्यालय ज्ञापन तारीख 16.10.2024 के पैरा 3(i) से पैरा 3(v) में विनिर्दिष्ट रूप से पैनल काउंसेलों के बीच मामलों के आवंटन में पदाभिहित मुकदमा भारसाधकों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले अनुदेश अंतर्विष्ट हैं। ये निम्नानुसार हैं :-

3(i) साधारण/नैत्यिक प्रकृति के मामलों को वार-आधार पर पैनल काउंसेल (भारत के अपर महा-सॉलिसिटर/भारत के उप महा-सॉलिसिटर/ज्येष्ठ पैनल काउंसेल) को समनुदेशित किए जाएं।

(ii) यदि मंत्रालय/विभाग लिखित में किसी विशिष्ट पैनल काउंसेल के नाम की सिफारिश करता है तो इसका उचित औचित्य होना चाहिए।

(iii) महत्वपूर्ण, संवेदनशील और उच्च पण संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत चुनौती के अधीन आने वाले उपबंध की सांविधानिक शक्तियों के मामले भी हैं, संबंधित मंत्रालय/विभाग के लिखित में विनिर्दिष्ट अनुरोध पर भारत के अपर महा-सॉलिसिटर/भारत के उप महा-सॉलिसिटर/ज्येष्ठ पैनल काउंसेल को समनुदेशित किए जाएं।

3(iv) ऐसे दो या अधिक मामले, जिनमें विधि या तथ्य के समान प्रश्न सारवान रूप से अंतर्वलित हैं और जहां नामों में, संबद्ध पक्षकारों के पते, अंतर्वलित धन की रकम आदि में मुख्य अंतर है, वहां इस तथ्य को

ध्यान में न रखते हुए कि ऐसे सभी मामले एक साथ सुने जाते हैं या नहीं, उसी पैनल काउंसेल को समनुदेशित किए जाएं न कि अलग-अलग काउंसेलों को।

(v) किसी विशेष समय पर भारत केअपर महा-सॉलिसिटर/ भारत के उप महा-सॉलिसिटर/ज्येष्ठ पैनल काउंसेल के सिवाय किसी पैनल काउंसेल के पास संबंधित उच्च न्यायालय/ अधिकरण/जिला और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय सरकार के मुदकमों की कुल लंबित संख्या में से दस प्रतिशत मामलों से अधिक मामले नहीं होने चाहिए।

विधि कार्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. जे-12017/1/2019-न्यायिक, तारीख 21.10.2019 द्वारा जारी और कार्यालय ज्ञापन सं जे-12017/1/2022-न्यायिक, तारीख 13.09.2022 द्वारा उपांतरित मार्गदर्शी सिद्धांत पदाभिहित मुकदमा भारसाधकों द्वारा न्यायालय/अधिकरण के लिए पैनल काउंसेलों के बीच भारत संघ से संबंधित मामलों के आवंटन के बारे में प्रक्रिया का वर्णन करते हैं।

उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के संबंध में, भारत के विद्वान महान्यायवादी द्वारा मामलों का आवंटन किया जाता है।

दिल्ली स्थित विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए, विधि कार्य विभाग के संलग्न कार्यालयों अर्थात् मुकदमा (उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण), मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग के भारसाधक, क्रमशः दिल्ली में उच्च न्यायालय, कैट (पीबी) और अन्य अधिकरणों ; जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, संबंधित भारत के अपर महा-सॉलिसिटर के परामर्श से किए जाने वाले मामलों के आवंटन हेतु, विधि अधिकारियों/पैनल काउंसेलों के विनियोजन के लिए जिम्मेदार होंगे।

मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूरू स्थित विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए, इन स्थानों पर, विधि कार्य विभाग के शाखा सचिवालयों के भारसाधकों को संबंधित न्यायालय/अधिकरण के लिए उनकी अधिकारिता के भीतर पैनल काउंसेल के विनियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तथापि, इन स्थानों पर उच्च न्यायालयों (पीबी) के समक्ष मामलों के लिए संबंधित भारत के अपर महा-सॉलिसिटर से परामर्श विधि अधिकारियों/पैनल काउंसेल को मामलों के आवंटन के लिए अपेक्षित होगा।

उन स्थानों केसिवाय, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, स्थानों पर पैनल काउंसेल का विनियोजन निम्नानुसार किया जाता है :-

उच्च न्यायालयों के लिए- भारत के अपर महा-सॉलिसिटर (एएसजीआई) या भारत के उप महा-सॉलिसिटर (डीएसजीआई) द्वारा,

शेष कैट, एएफटी, एनजीटी न्यायपीठों के लिए- संबंधित केन्द्रीय सरकार के ज्येष्ठ स्थायी सरकारी काउंसेल द्वारा,

शेष जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए :- संबंधित स्थायी काउंसेल द्वारा।

(ख) और (ग) : विधि कार्य विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन तारीख 16.10.2024 द्वारा जारी नए मार्गदर्शी सिद्धांत, पदाभिहित मुकदमा भारसाधकों से अपेक्षा करते हैं कि वे विधि कार्य विभाग को ई-मेल के माध्यम से नियमित आधार पर पैनल काउंसेलों को मामलों के आवंटन की मासिक रिपोर्ट भेजें।

इसके अतिरिक्त, विधि कार्य विभाग ने मास फरवरी, 2016 में 'विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिंब्स)'नामक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यह एक ऐसा बेव आधारित अनुप्रयोग है जिसे भारत संघ को अंतर्वलित करने वाले सभी न्यायालय मामलों की मॉनीटरी करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस पर पहुंचना सहज है और यह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों, इसके संगठनों, विधि अधिकारियों और पैनलीकृत काउंसेलों के लिए 24X7 उपलब्ध है, जो उन्हें, उनसे संबंधित भारत संघ के मामलों से संबंधित आंकड़ों को अपलोड करने के लिए समर्थ बनाता है।

कार्यालय ज्ञापन तारीख 16.10.2024 द्वारा जारी पूर्वोक्त नए मार्गदर्शी सिद्धांत पैनल काउंसेलों से अपने लिंब्स आईडी को सक्रिय करने और उनको समनुदेशित मामलों की प्रास्थिति को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए आग्रह करते हैं, जिन्हें प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लिंब्स पोर्टल पर मॉनीटर किया जाना है।

****